सं. ओ. वि./भिवानी/152-83/14244.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. भिवानी टैक्सटाईल मिल्ज, भिवानी, के श्रमिक श्री मौनी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं० 3864-ए.एस.ओ.(ई)श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री मौनी दत्ता की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./भिवानी/126-83/14251.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि 1. हरियाणा राज्य परिवहन, नियन्त्रक, चण्डीगढ़, 2. जनरल मैनेजर, हरियाणा राज्य परिवहन, भिवानी, के श्रमिक श्री शमशेर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं० 3864-ए.एस.ओ.(ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतुनिर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री शमशेर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ. वि./रोहतक/48-84/14202.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० हरनाम पोटरीज, नजबगढ रोड, बहादुरगढ (रोहतक), के श्रमिक श्री सन्त राम तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ (ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सन्त राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./सोनीपत/19-84/14209.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैसर्ज दी सोनीपत को-आपरेटिव शुगर मिल लि०, सोनीपत, के श्रमिक श्री सुरेश चन्द्र शर्मा तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6

बनम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ. (ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सुरेश चन्द्र शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ।

सं. ओ. वि./रोहतक/44-84/14216.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. एच० आर० भल्ला एन्ड सन्स प्रा० लि०, बहादुरगढ (रोहतक), के श्रमिक श्री ओम प्रकाश तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ. (ई)श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री ओम प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./भिवानी/146-84/14223.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि प्रशासक नगरपालिका (सुधार मण्डल शाखा), भिवानी, के श्रमिक श्री महेन्द्र सिंह, तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ. (ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री महेन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

एस० के० महेश्वरी,
संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।

12828 CS(H)—Govt. Press, U.T. Chd.